20/6/19

पक्षा. प्रतिवादी बाबूलाल वारिकर उपस्थित। प्रतिवादी
की तरफ वकील मौजूद उपस्थित नहीं।
अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र धारा 151
अपील अपील पेश की अस्वीकार किया
जाता है। पक्षा. मोहन कुमार [illegible]